भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2589

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण योजनाओं का आकलन

2589. श्री तारिक अनवर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत स्वीकृत मकानों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), सृजित रोजगार और जारी की गई केन्द्रीय सहायता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, आजीविका संवर्धन, सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और समय पर कार्यान्वयन की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार बिहार में जिला-वार विशेषकर कटिहार जिले में ग्रामीण आवास, आजीविका संवर्धन और रोजगार सृजन को और सुदृढ़ करने के लिए उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता या विशेष परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के कार्यान्वयन की प्रगति का नियमित मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से स्वीकृत आवासों, गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सृजित श्रमदिवसों तथा जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु, योजनाओं/कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस दिशा में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा हेतु एक व्यापक बहु-स्तरीय एवं बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है, जिसमें कार्य निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजना, संयुक्त समीक्षा मिशन, मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट बैठकें, श्रम बजट पुनरीक्षण बैठकें, कार्यक्रम समीक्षा बैठकें, समवर्ती मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन अध्ययन शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशिष्ट समीक्षा भी समय-समय पर की जाती है तथा उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन में सुगमता, बेहतर लक्ष्यीकरण, प्रभावी वितरण और पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ संबंधित हितधारकों द्वारा प्रगति एवं प्रभावशीलता की वास्तविक समय के आधार पर समवर्ती निगरानी/आकलन को सक्षम बनाने हेतु कार्यक्रमों के अंतर्गत समग्र डिजिटल समाधान भी कार्यान्वित किए गए हैं।

(ग): सभी योजनाएं/कार्यक्रम संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग से बिहार के कटिहार जिले सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धारित योजनागत दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वित किए जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्यों को योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं पूर्व में जारी निधियों के उपयोग के आधार पर जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसके पश्चात इसे संबंधित जिलों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों को आगे संवितरण हेतु जारी करते हैं। वर्तमान में, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जा रही सहायता/परियोजनाओं के अतिरिक्त बिहार के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता अथवा विशेष परियोजनाओं हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक बिहार, जिसमें कटिहार जिला भी शामिल है, के लिए पीएमएवाई-जी, डीएवाई-एनआरएलएम और मनरेगा योजना के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कार्यक्रम	**जारी केंद्रीय अंश (रु. करोड़ में)**
पीएमएवाई-जी	5,111.25
डीएवाई-एनआरएलएम	5669.76
मनरेगा	22935.71

अनुबंध

"ग्रामीण योजनाओं का आकलन" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2589 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) पीएमएवाई-जी

वित्त वर्ष 2023-24 से अब तक पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत आवासों और जारी किए गए केंद्रीय अंश का ब्यौरा			
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**स्वीकृत आवासों की संख्या***	**जारी केन्द्रीय अंश (रु करोड़ में)**
1	अरुणाचल प्रदेश	3	201.61
2	असम	10,86,204	10,074.16
3	बिहार	12,10,068	5,111.25
4	छत्तीसगढ	12,76,179	9,404.53
5	गोवा	-	0.00
6	गुजरात	2,54,935	1,883.24
7	हरियाणा	47,139	203.74
8	हिमाचल प्रदेश	68,977	1,037.71
9	जम्मू और कश्मीर	1,37,003	1,524.57
10	झारखंड	3,46,006	1,255.31
11	केरल	51,059	151.78
12	मध्य प्रदेश	16,18,990	8,231.82
13	महाराष्ट्र	27,85,031	13,277.82
14	मणिपुर	63,521	435.92
15	मेघालय	1,14,415	1,592.25
16	मिजोरम	9,478	170.85
17	नागालैंड	25,878	402.19
18	ओडिशा	1,03,457	5,052.27
19	पंजाब	36,978	361.48
20	राजस्थान	7,17,100	3,090.85
21	सिक्किम	-	1.58

22	तमिलनाडु	26,089	140.67
23	त्रिपुरा	1,18,821	1,186.92
24	उत्तर प्रदेश	1,95,576	2,751.96
25	उत्तराखंड	22,017	382.08
26	पश्चिम बंगाल	201	-
27	अंडमान और निकोबार	1,288	5.45
28	दादरा और नगर हवेली	4,228	23.62
29	लक्षद्वीप	-	-
30	आंध्र प्रदेश	515	275.11
31	कर्नाटक	3,78,290	446.80
32	लद्दाख	1,125	18.90

(ख) डीएवाई-एनआरएलएम

वर्ष 2023-24 से अब तक परिवारों तथा संगठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 31.05.2026 तक डीएवाई-एनआरएलएम के तहत जारी कुल निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठित एसएचजी	एसएचजी में संगठित परिवारों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023-24 से 31.05.2026 तक जारी कुल केन्द्रीय अंश (रु करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	296	3,595	13.63
2	आंध्र प्रदेश	16,603	5,75,419	697.74
3	अरुणाचल प्रदेश	7,937	63,533	351.34
4	असम	50,710	9,61,078	1477.97
5	बिहार	4,05,071	54,88,859	5669.76
6	छत्तीसगढ	95,672	11,87,648	938.49
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,090	10,945	12.37
8	गोवा	638	10,759	39.8
9	गुजरात	22,993	6,83,717	588.65
10	हरियाणा	19,807	2,04,323	197.56
11	हिमाचल प्रदेश	13,401	1,17,530	185.36

12	जम्मू एवं कश्मीर	46,811	4,32,973	305.42
13	झारखंड	55,966	7,63,996	1480.65
14	कर्नाटक	91,880	11,66,909	1114.62
15	केरल	15,145	4,26,231	512.52
16	लद्दाख	1,680	11,274	27.5
17	लक्षद्वीप	55	908	4.25
18	मध्य प्रदेश	1,14,190	22,27,012	1020.82
19	महाराष्ट्र	1,83,470	19,92,364	3468.3
20	मणिपुर	9,858	1,01,767	214.94
21	मेघालय	9,817	86,186	677.27
22	मिजोरम	3,937	29,385	127.22
23	नागालैंड	4,404	35,995	364.61
24	ओडिशा	31,956	10,20,893	2199.93
25	पुदुचेरी	1,881	20,342	56.74
26	पंजाब	27,812	3,10,557	169.91
27	राजस्थान	89,418	9,43,729	1019.68
28	सिक्किम	816	8,794	73.11
29	तमिलनाडु	1,13,786	14,97,009	1256.21
30	तेलंगाना	17,833	3,70,590	503.34
31	त्रिपुरा	22,081	2,18,147	848.96
32	उत्तर प्रदेश	3,02,799	57,83,456	4644.56
33	उत्तराखंड	35,482	2,55,070	380.83
34	पश्चिम बंगाल	3,06,438	33,03,749	2714.58

(ग) मनरेगा योजना

वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक मनरेगा योजना के तहत सृजित श्रमदिवस, निर्मित परिसंपत्तियां और केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित श्रम दिवस	सृजित परिसंपत्तियों की संख्या	जारी केन्द्रीय सहायता (रु करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	8236.72	1429873	26953.90
2	अरुणाचल प्रदेश	598.87	12298	1828.00

3	असम	2349.11	1807023	7076.39
4	बिहार	7666.46	2132646	22935.71
5	छत्तीसगढ	4118.03	1699200	10733.25
6	गोवा	1.91	766	7.97
7	गुजरात	1311.96	742378	4620.12
8	हरियाणा	319.58	54395	1583.98
9	हिमाचल प्रदेश	984.26	423630	3432.18
10	जम्मू और कश्मीर	1263.44	376426	4174.41
11	झारखंड	3356.81	1569205	9512.93
12	कर्नाटक	3663.57	2341664	15965.30
13	केरल	2797.89	792335	11505.42
14	लद्दाख	66.76	31118	235.10
15	मध्य प्रदेश	6058.62	2128475	19434.23
16	महाराष्ट्र	4685.83	1784926	17023.46
17	मणिपुर	721.93	31375	2073.22
18	मेघालय	989.88	137324	3812.50
19	मिजोरम	661.25	73296	2029.59
20	नागालैंड	405.49	13563	1481.86
21	ओडिशा	4437.68	1540146	13737.83
22	पंजाब	939.33	188291	3823.96
23	राजस्थान	9647.46	1172693	25561.68
24	सिक्किम	92.53	17781	325.54
25	तमिलनाडु	9223.38	1436811	30106.57
26	तेलंगाना	3812.66	567823	12288.06
27	त्रिपुरा	1066.36	402764	3175.93
28	उत्तर प्रदेश	9490.5	3785928	31806.93
29	उत्तराखंड	531.03	221099	1831.21
30	पश्चिम बंगाल	2.03	122706	15.91
31	अंडमान और निकोबार	3	1387	8.27
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7	6086	26.98
33	लक्षद्वीप	0.04	16	0.32
34	पुदुचेरी	46.66	2026	145.60
